आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

दैनिक भास्कर

INDORE, FRIDAY, 12/02/2016

2012 से 2015 तक प्रदेशभर में दर्ज हुई हरेक एफआईआर को स्टडी कर तैयार की गई पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल की रिपोर्ट

ढाई साल में इंदौर में महिलाओं के खिलाफ सायबर क्राइम में 40% इज़ाफा

- 43 फीसदी मामले 20 से 40 की उम्र के लोगों के
- महिलाएं सायबर स्टॉकिंग और साइबर पॉर्नोग्राफी की शिकार हो रहीं
- शहर में साइबर थाना न होने से केसेस रजिस्टर होने में दिक्कत, भोपाल भेजी जा रही शिकायतें

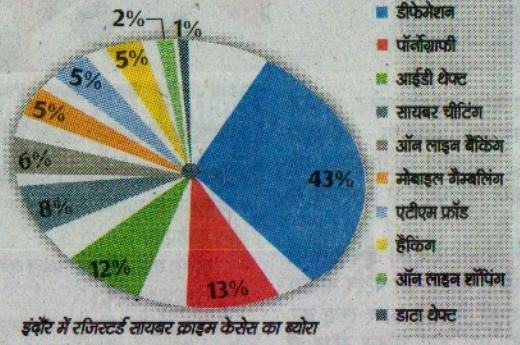

इंदौर में रजिस्टर्ड सायबर क्राइम केसेस का ब्योरा

सिटी रिपोर्टर • फेसबुक पर आपकी फ्रेंड्स लिस्ट में जितने भी नाम हैं, क्या वाकई वे सभी आपके दोस्त हैं? क्या आपके मोबाइल में आपके प्रायवेट फोटोज हैं? कहीं जाने से पहले क्या आप सोशल प्रोफाइल पर 'ऑफ टु वैष्णोदेवी' जैसा स्टेटस शेअर करते हैं? इन सवालों के जवाबों में ही सारी संभावनाएं छिपी हैं साइबर क्राइम का शिकार होने की। चलिए अब बात करते हैं इंदौर में बढ़ते सायबर अपराधों की। *-शेष पेज 19 पर*

शहर में भी पिछले दो सालों में सायबर क्राइम तेजी से बढ़ा है। कुछ अपराध ऐसे हैं जो सिर्फ महिलाओं के साथ हो रहे हैं। पिछले दो-ढाई सालों में इनमें 40 फीसदी की तेजी आई है।

इन अपराधों का पैटर्न और बाहरी दुनिया में क्राइम का एग्जीक्यूशन समझने के लिए पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल आईजी वरुण कपूर और उनकी टीम ने पूरे राज्य में दर्ज हुए सायबर अपराधों की एक-एक एफआईआर स्टडी की। ज्यादातर मामलों में अपराधी हैं 20 से 40 साल की उम्र के लोग। हम महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में जानकारी और इनसे बचने के तरीके साझा कर रहे हैं।

वे चार सायबर क्राइम्स जो सिर्फ महिलाओं के साथ हो रहे हैं

1. **सायबर स्पाइंग :** हिडन कैमरों के जरिए ऐसी जगहों पर रिकॉर्डिंग करना जहां प्राइवेसी होना चाहिए। चेंजिंग रूम्स में, पब्लिक टॉयलेट्स में स्पाइंग इसमें शामिल है। आईटी एक्ट 66 E के तहत मामला बनता है।

कैसे बचें : ट्रायल रूम या पब्लिक टॉयलेट यूज करें तो आसपास देखें। कैमरा जैसा कुछ लगे तो आपत्ति लें।

2. **सायबर स्टॉकिंग :** किसी को बार-बार मिस्ड कॉल करना। नियमित रूप से किसी की सोशल प्रोफाइल चेक करना। सोशल वर्ल्ड में व्यक्ति की मॉनिटरिंग करना और बाहरी दुनिया में अपराध को अंजाम देना।

कैसे बचें : - जिन्हें जानते नहीं उनसे सोशल वर्ल्ड में दोस्ती न करें। स्पाइंग को मामूली समझ नज़रअंदाज न करें। इसी स्टेज पर पुलिस को बताएं।

कहीं जाएं तो सोशल प्रोफाइल पर 'ऑफ टु वैष्णोदेवी' जैसे स्टेटस डालकर अपने बारे में जाहिर सूचना न दें। इससे आपके साथ शहर के बाहर तो अपराध हो ही सकता है, साथ ही आपके पीछे आपके घर पर भी चोरी या लूट हो सकती है।

3. **साइबर बुलिइंग :** सोशल साइट पर किसी से दोस्ती करना, उसके कुछ सीक्रेट्स जान लेना, फोटो शेअर कर लेना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना इस अपराध में आता है।

कैसे बचें : दोस्त हो या अत्यंत विश्वसनीय, सोशल साइट्स पर उनके साथ निजी बातें साझा मत कीजिए। प्रायवेट फोटोज तो कतई नहीं।

4. **सायबर पॉर्नोग्राफी :** सोशल वर्ल्ड में या अन्य वेबसाइट्स से अश्लील तस्वीर या जानकारी अपलोड करना। किसी की निजी तस्वीरें या फिर तस्वीरों में मॉर्फिंग कर उन्हें शेअर करना सायबर पॉर्नोग्राफी है।

कैसे बचें : वैसे तो मॉर्फिंग पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन सोशल साइट्स पर ज्यादा तस्वीरें न डालें।

ऐसा कोई मामला सामने आए तो आरोपी से डरने के बजाय घर के बड़ों को बताएं। पुलिस रिपोर्ट करें।

मोबाइल में प्रायवेट फोटोज न रखें। कई एप्स ऐसी हैं जो मोबाइल डाटा और सोशल प्रोफाइल इन्फो हैक कर लेते हैं।